



2026:AHC:49574-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 500/2026

शांति देवी और अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जयव्रत द्विवेदी, राम स्वरूप (सिंह), शिवकांत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: राजीव सिंह (स्थायी अधिवक्ता), अचल सिंह, संत राम शर्मा

मुख्य न्यायाधीश की अदालत

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. कथित रूप से जनहित में दायर यह याचिका, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग के साथ प्रस्तुत की गई है कि वे निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें, जिन्होंने कथित तौर पर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह भूमि भीटा, देव स्थान और तालाब के रूप में आरक्षित है और ग्राम - हरदौली, तहसील - बांदा, जिला - बांदा के प्लॉट नंबर 754, 755, 756, 757, 871 और 872 में स्थित है।
2. यह दलील दी गई है कि जो भूमि भीटा, देव स्थान और तालाब के रूप में दर्ज थी, उसे प्रतिवादियों के नाम पर नामांतरित करा लिया गया और उसके बाद हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए। याचिका या प्रत्यावेदन में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि यह कथित हेरफेर कब

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुआ और भूमि प्रतिवादियों के नाम पर कब दर्ज की गई, हालांकि, अधिवक्ता का कहना है कि यह बहुत समय पहले हुआ था।

3. एक बार जब राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां कथित अतिक्रमणकारियों के नाम पर दर्ज हो जाती हैं, तो उन विधिवत दर्ज भूमि धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के लिए जनहित याचिका (PIL) दायर करना स्वीकार्य नहीं है। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है और उनके पास कानूनी अधिकार है, तो वे कानून के अनुसार राजस्व प्रविष्टियों और परिणामी बिक्री विलेखों की वैधता को चुनौती दे सकते हैं।
4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

11 मार्च, 2026

मुकेश पाल/साज़िया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।